

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)  
 भारत सरकार  
 वित्त मंत्रालय  
 (राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 2/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 07 मार्च, 2019

सा.का.नि..... (अ.)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के खंड (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्यीय आपूर्ति पर संघ राज्य क्षेत्र कर को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट दर से लगाया जाएगा, यथा:-

**सारणी**

आपूर्ति का विवरण	दर (प्रतिशत)	शर्तें
(1)	(2)	(3)
किसी भी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल को या उसके पश्चात पचास लाख रुपए तक के सकल कारोबार तक माल या सेवाओं या दोनों की जाने वाली प्रथम आपूर्ति	3	<p>1. आपूर्ति ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की जाती हो, -</p> <p>(i) जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार पचास लाख रुपए या इससे कम रहा हो;</p> <p>(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अंतर्गत कर का भुगतान करने के पात्र न हों;</p> <p>(iii) जो ऐसी किसी आपूर्ति में संलग्न न हों जिन पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर न लगाया जाता हो;</p> <p>(iv) जो कि किसी प्रकार के अंतरराज्यीय बाह्य आपूर्ति में संलग्न न हों;</p> <p>(v) जो कि न तो नैमित्तिक कर दाता हों और न ही कर देने वाले अनिवासी व्यक्ति हो;</p> <p>(vi) जो कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कामर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने में संलग्न न हों जो कि धारा 52 के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित हो; और</p> <p>(vii) जो कि ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न न हों जिनका विवरण नीचे दिए गए अनुबंध के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त अनुबंध के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ़ मद, उक्त शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आती हों।</p> <p>2. जहां कि एक से अधिक पंजीकृत व्यक्ति के पास वही परमानेंट एकाउंट नंबर हो जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत जारी किया गया हो, वहां ऐसी आपूर्तियों पर संघ राज्य क्षेत्र कर का भुगतान ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा इस अधिसूचना के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट दर से किया जाता हो।</p>

		<p>3. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति अपने द्वारा की गई आपूर्ति के प्राप्तकर्ता से न तो किसी कर की वसूली करेगा और न ही वह किसी प्रकार के इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा ।</p> <p>4. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप धारा (3) के उपवाक्य (ग) में यथा संदर्भित आपूर्ति बिल, टैक्स इनवायस के स्थान पर, जारी करेगा और इसमें केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली के नियम 19 में यथा विनिर्दिष्ट ब्यौरे भी दिए जाएंगे ।</p> <p>5. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति आपूर्ति बिल के शीर्ष पर निम्नलिखित शब्दों का उल्लेख करेगा, यथा:- 'अधिसूचना संख्या 2/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 07.03.2019 के अनुसार कर का भुगतान करने वाला करदाता व्यक्ति, जो कि आपूर्ति पर कर की वसूली करने के लिए पात्र नहीं है'.</p> <p>6. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर के भुगतान के विकल्प का चयन करता है वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 1 (1) या धारा 11 के अंतर्गत जारी किसी अन्य अधिसूचना के बावजूद कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट सभी बाह्य आपूर्तियों पर तीन प्रतिशत के दर से संघ राज्य क्षेत्र कर का भुगतान करने का दायी होगा ।</p> <p>7. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर के भुगतान का विकल्प का चयन करता है वह उस अंतः आपूर्ति पर केन्द्रीय कर का भुगतान करने का दायी होगा जिस पर वह उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) या, जैसी भी स्थिति हो उप धारा (4) के अंतर्गत कर के भुगतान का दायी होता हो ।</p> <p>स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के उद्देश्य से इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की पात्रता का निर्धारण किए जाने हेतु "वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की प्रथम आपूर्ति" की अभिव्यक्ति में वे आपूर्तियां आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष के पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की होंगी जिस तारीख से वह व्यक्ति, पंजीकरण कराए जाने का पात्र बन जाता हो लेकिन इस अधिसूचना के अंतर्गत देय कर के निर्धारण के उद्देश्य में ऐसी आपूर्तियां नहीं आएंगी जो कि किसी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से लेकर उस तारीख तक की हों जिस तारीख से वह इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण का पात्र बनता हो ।</p>
--	--	---

#### अनुबंध

क्र. सं.	टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	2105 00 00	आईस-क्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे इनमें कोकोवा मिला हो या नहीं
2	2106 90 20	पान मसाला
3	24	ऐसी सभी वस्तुएं जो कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के विकल्प हों ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत तीन प्रतिशत की दर से संघ राज्य क्षेत्र कर का भुगतान करने के लिए किसी पंजीकृत व्यक्ति की पात्रता के निर्धारण के लिए सकल कारोबार की गणना में ब्याज या बट्टा के माध्यम से अभिव्यक्त प्रतिफल की जहां तक बात हो वहां तक जमा, ऋण या अग्रिम को देकर छूट प्राप्त सेवाओं की की जाने वाली आपूर्ति के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा ।

3. स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से,-

(i) “टैरिफ मद”, “उप-शीर्षक”, “शीर्षक” और “अध्याय” का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक और अध्याय का है ।

(ii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें इस प्रथम अनुसूची के खंड और अध्याय नोट्स तथा सामान्य स्पष्टीकरण नोट्स भी जैसी भी स्थिति हो, शामिल हैं, कि व्याख्या से संबंधित नियम इस अधिसूचना की व्याख्या के मामले में भी लागू होंगे ।

4. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/25/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार